



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338 |

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2014/माघ 25, 1935

No. 338 |

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2014/MAGHA 25, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

का.आ.402 (अ).— केन्द्रीय सरकार, जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार के परामर्श से पंजाब राज्य की निम्न तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियां, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	पौधों के नाम
(1)	(2)
1	टीकोमिला अनडूलाटा (एस.एम.) सीम
2	विथैनिया कोगुलैस (स्टॉक) ड्यूनल
3	एनोजिसस सिरिसिया ब्रैन्डिस वार. न्यूमूलेरिया किंग एक्स ड्यूथी
4	एलाईसीकार्पस ब्यूप्लोयूरिफोलियस (एल.) डीसी वार. हाइब्रिडस डीसी
5	हिबिसकस होशियारपुरैसिंस टी. के. पॉल एण्ड एम.पी. नायर
6	सिरोपिजिया बुलबोसा रॉक्सब वार. लशी (जे. ग्राहम) हुक. एफ [=सिरोपिजिया लशी (जे. ग्राहम)]
7	औफियोग्लोसम ग्रैमिनियम वाइल्ड
8	औफियोग्लोसम पौलीफिल्लम ए. ब्रौन एक्स. सियब
	पशुओं के नाम
1	प्लैटैनिस्टा गैंगिटिका एसएसपी माइनर
2	जिप्स बैंगालैसिस जिमिलिन, 1788
3	ग्रस एंटीगोन लिनेइयस, 1758
4	पाईथन मॉल्यूरस लिनेइयस, 1758
5	कछुगा टैक्टा ग्रे, 1830

2. तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संग्रह को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही पंजाब राज्य जैवविविधता बोर्ड के अनुमोदन को छोड़कर प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
- (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति-संग्रहालय और संग्रहालय;
- (ग) प्रचार; और
- (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. पंजाब राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (i) समग्र तालमेल के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
- (ii) यथावत और पूर्ववत संरक्षण तथा पुनर्वास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
- (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-III]

हेम पाण्डे, अपर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 402(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Punjab, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Punjab, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of the Plants
1	<i>Tecomella undulata</i> (Sm.) Seem
2	<i>Withania coagulans</i> (Stocks) Dunal
3	<i>Anogeissus sericea</i> Brandis var. <i>nummularia</i> King ex Duthie
4	<i>Alysicarpus bupleurifolius</i> (L.) DC var. <i>hybridus</i> DC
5	<i>Hibiscus hoshiarpurensis</i> T.K. Paul & M.P. Nayar
6	<i>Ceropegia bulbosa</i> Roxb. Var. <i>lushii</i> (J. Graham) Hook.f [= <i>Ceropegia lushii</i> (J. Graham)]
7	<i>Ophioglossum gramineum</i> Willd.
8	<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun ex. Seub.
Name of the Animals	
1	<i>Platanista gangetica</i> ssp minor
2	<i>Gyps bengalensis</i> Gmelin, 1788
3	<i>Grus antigone</i> Linnaeus, 1758
4	<i>Python molurus</i> Linnaeus, 1758
5	<i>Kachuga tecta</i> Gray, 1830

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Punjab State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:—

- (a) scientific research;
- (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- (c) propagation; and
- (d) any other scientific investigation

3. The Punjab State Biodiversity Board shall undertake:—

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- (ii) propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation; and
- (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F.No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Addl. Secy.